न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20/2014 (उदयपुर डिक्री)

दिनेश कुमार पिता चम्पालाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गणेशी बाई पत्नी कस्तूरचन्द जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चुन्नी बाई पत्नी छगनलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवीलाल पिता स्वर्गीय नाथूलाल जी खटीक मृतक के बजाय :–

3/1. अर्जुनलाल पिता देवीलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. प्रेमचन्द पिता देवीलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. हमेरचन्द पिता स्वर्गीय नाथूलाल जी खटीक मृतक के बजाय :–

4/1. हीरालाल पिता हमेरचन्द जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. श्रीमती नानाबाई पत्नी हमेरचन्द जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. किशनलाल पिता लालूराम जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4/4. कालू पिता लालूराम जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5. सुरेशचन्द्र पिता शंकरलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पुष्करलाल पिता शंकरलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी शंकरलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती झमकूबाई पुत्री शंकरलाल जी खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. उपपंजीयक मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 30.04.2008, प्र.सं. 109/07

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संदीप दाधीच अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 1 व 2

———::———

निर्णय **दिनांक 19–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 10 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दवेल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार विवादित भूमियां स्थित हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। मूलपुरूष नाथूलाल होकर उसके 3 पुत्र देवीलाल, हमेरचन्द व शंकरलाल तथा 2 पुत्रियां वादिया गणेशीबाई व चुन्नीबाई हुई। नाथूलाल की पत्नी रोड़ीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा शंकरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 6 हैं। इस प्रकार नाथूलाल के प्रत्येक वारिस का विवादित आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है, परन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर हम पुत्रियों का नाम नहीं बताकर विरासत का नामान्तरकण खुलवा लिया, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में अपना 1/3 हिस्सा बताकर भूमि का विक्रय करने पर आमादा हैं। अतएवं निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का 1/3 हटाया जाकर वाद वर्णित हिस्से अनुसार प्रत्येक का 1/5, 1/5

हिस्सा अंकित किया जाकर विभाजन किया जावे तथा अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 व 10) की ओर से औपचारिक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28–04–2008 को हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्य सबूतों का विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–04–2008 से वादिया का वाद स्वीकार का बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–05–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, क्योंकि अपीलान्ट ने कथित जमीन कोपार्सनर से खरीदी थी तथा विक्रेता के बजाय अपीलान्ट विवादित भूमि का मालिक काबिज व खातेदार काश्तकार हुआ, कथित जमीन से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है तथा अन्य रेस्पोन्डेन्ट से मिलीभगत कर गलत वाद पेश किया है। कथित आदेश से अपीलान्ट का नाम हटा दिया गया है इस कारण अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति है। अतएवं उसे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

→ हमारे द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में देवीलाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा विवादित आराजी नंबर 1152, 1154, 1155 1147/1154 किता 4 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 05–07–2008 को श्रीमती सोमादेवी के पक्ष में कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध देवीलाल का सम्मन जो कि दिनांक 22–05–2007 की सुनवाई के लिए दिनांक 04–05–2007 को जारी किया गया है, उसकी विधिक तामिल देवीलाल को होना सुस्पष्ट है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय मं वाद दिनांक 04–05–2007 को पेश हो चुका था तथा वाद पेश होने के बाद दिनांक

05–07–2008 को देवीलाल द्वारा अपना 1/3 हिस्सा, जिसके लिए वादिया ने उसका 1/5 हिस्सा ही होना तथा वादीया का भी 1/5, 1/5 हिस्सा होने का कथन कर वाद प्रस्तुत किया था, जिसकी जानकारी विक्रेता देवीलाल को होने के बावजूद भी उसके द्वारा 1/3 हिस्से का विक्रय श्रीमती सोमादेवी के पक्ष में कर दिया गया है, तत्पश्चात सोमादेवी द्वारा दिनांक 28–12–2010 को उक्त भूमियों का विक्रय अपीलान्ट दिनेश कुमार एवं अन्य लोकेश कृष्णावत के पक्ष में कर दिया गया है।

अर्थात प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि देवीलाल जिसे अपनी बहनों द्वारा दर्ज करवाये गये वाद की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद लीज पेन्डेन्स वाद के उसके हिस्से के विधिक निस्तारण से पूर्व अपना 1/3 हिस्सा विक्रय कर दिया गया है, जबकि पक्षकारान के हिस्से का वाद न्यायालय में विचाराधीन था एवं न्यायालय निर्णय से पूर्व यदि कोई विक्रय किया जाता है तो उक्त विक्रय न्यायालय द्वारा तय किये गये हिस्से से अधिक नहीं माना जा सकता। अर्थात प्रकरण में देवीलाल की बहनों द्वारा सम्पत्ति पिता की होने का कथन करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हुए जो अपना 1/5 हिस्सा चाहा गया है, उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है तथा उक्त वाद लम्बित होने के दौरान यदि किसी पक्षकार द्वारा राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्से की त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि के आधार पर अपना हिस्सा विक्रय कर दिया जाता है तो उक्त विक्रय से वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रभावित नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त भूमियां मौरूष नाथूलाल की नहीं हो अथवा नाथूलाल की उक्त भूमियों में वादीया का 1/5 हिस्सा नहीं बनता हो, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्सा मानकर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, उससे हम अपीलान्ट को हितबद्ध, व्यथित अथवा आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं, क्योंकि वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्रियों के रूप में जो हिस्सा दिया गया है, उसे नहीं मानने की कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं की गयी है एवं प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के विक्रेता के विक्रेता देवीलाल को उनकी बहनों द्वारा पेश शुदा वाद की जानकारी थी तथा विक्रय दौराने वाद किया गया है तथा दौराने वाद किये

गये विक्रय में न्यायालय के निर्णय से विक्रेता को जितना हक प्राप्त होता है, उससे अधिक क्रेता प्राप्त नहीं कर सकता। इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 153 सुप्रिम कोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यहां विक्रेता द्वारा दौराने वाद जानकारी होने हुए अपने हिस्से से अधिक का विक्रय किया गया है, तद्नुसार हम अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं। अपीलान्ट के हक अधिकार न्यायालय द्वारा उसके विक्रेता के तय किये गये हिस्से तक ही होंगे। अपीलान्ट अपने क्रय शुदा पूर्ण हक अधिकारों के लिए अपने विक्रेता के विरूद्ध पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अपीलान्ट को हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं, तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 96 जा. दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं एवं हम उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अधिकृत नहीं पाते हैं।

अतएवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2008 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दिनेश कुमार पिता चम्पालाल खटीक निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर बनाम **श्रीमती गणेशीबाई पत्नी कस्तूरचन्द खटीक नि. नाहरमगरा, तह. मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**20 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....30**.....माह.....**04**.....**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**02**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री संजय बोहरा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संदीप दाधीच**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2008 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**02**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।